न्यायालय, उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी, सिमडेगा।

दा0खा0 पुनरीक्षण वाद सं0– 02 / 2013–14

श्री रामनिवास साहू
बनाम
झारखण्ड सरकार

आदेश

अपीलार्थी श्री राम निवास साहू पिता – स्व0 राम लखन साहू ग्राम – गोतरा प्रिंस चौक थाना – सिमडेगा, जिला – सिमडेगा ने उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार, सिमडेगा के दा0खा0 अपील संख्या 07 / 2010–11 (श्री रामनिवास साहू बनाम झारखण्ड सरकार) में दिनांक 16.01.2013 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील रिविजन दायर की है।

यह रिविजन वाद दिनांक 29.08.2013 को सुनवाई हेतु अंगीकृत किया गया है। नोटिस निर्गत किया गया एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख मंगाया गया।

इस रिविजन वाद की विवादित भूमि मौजा सलडेगा के खाता नं0 108 प्लॉट नं0 667 रकबा 0.05 एकड़ से संबंधित है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना गया।

अपीलार्थी की ओर से निम्न बातें रखी गई :–

इस रिविजन वाद की भूमि रैयती है। अपीलार्थी ने यह भूमि श्रीमती रतनी देवी पति कालूराम कुलूकेरिया ग्राम – सिमडेगा थाना – सिमडेगा ने रजिस्ट्री पट्टा संख्या 445 / 440 दिनांक 20.05.2009 से खरीद की है। इसके पूर्व श्रीमती रतनी देवी ने यह भूमि शिव शंकर प्रसाद सिन्हा से रजिस्ट्री पट्टा संख्या 771 दिनांक 23.09.1968 से खरीदी थी एवं अंचल कार्यालय, सिमडेगा से दा0खा0 वाद संख्या 80R27 / 1973–74 से दाखिल खारिज कराकर लगान रसीद प्राप्त करती रही है।

इस भूमि के खरीद विक्री हेतु तत्कालिन अपर समाहर्त्ता, सिमडेगा से अनुमति प्राप्त किया गया है। अपर समाहर्त्ता, सिमडेगा के अनुमति के बाद ही निबंधन विभाग, सिमडेगा द्वारा रजिस्ट्री किया गया है।

भूमि का रजिस्ट्री होने के बाद अपीलार्थी ने दाखिल खारिज हेतु आवेदन अंचल अधिकारी, सिमडेगा को दिया जिसके आधार पर दा0खा0 वाद संख्या 258R27 / 2010–11 प्रारम्भ हुआ किन्तु अंचल अधिकारी, सिमडेगा ने यह कहकर

दाखिल अस्वीकृत कर दिया कि खरीदी गई भूमि गैरमजरूआ खाते की है। इसलिए दा0खा0 आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

अंचल अधिकारी के अस्वीकृति के बाद अपील उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार, सिमडेगा के यहां दायर किया गया। अपील में भी उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार, सिमडेगा ने अंचल अधिकारी, सिमडेगा के आदेश को ही आधार मानते हुए अपील वाद संख्या 07 / 2011–12 को अस्वीकृत कर दिया है।

आगे विज्ञ अधिवक्ता ने बताया कि अंचल अधिकारी एवं उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार, सिमडेगा ने वरीय पदाधिकारी अपर समाहर्त्ता, सिमडेगा द्वारा दी गई अनुमति एवं विधिवत् रजिस्ट्री पट्टा की भूमि को दा0खा0 नही किया है जो कि नियम विरूद्ध है। अपीलार्थी का खरीद की गई भूमि पर खरीद के समय से ही दखल कब्जा है जो कि कर्मचारी के प्रतिवेदन में भी उल्लेखित है।

दाखिल खारिज के लिए भूमि पर दखलकार होना जरूरी है जो कि अपीलार्थी दखलकार है। इसलिए अपीलार्थी का अपील स्वीकृत किया जाय।

अपीलार्थी के अधिवक्ता के बहस / आवेदन एवं उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार, सिमडेगा / अंचल अधिकारी, सिमडेगा द्वारा पारित आदेश एवं परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा भूमि की खरीद रजिस्ट्री पट्टा के माध्यम से की गई है। अपीलार्थी का भूमि पर दखल कब्जा भी है। आदेश में यह भी उल्लेखित है कि वादगत् भूमि सर्वे खतियान के अनुसार गैर मजरूआ मालिक खाते की है, किन्तु पूर्व के रैयत शिव शंकर प्रसाद सिन्हा के नाम किस प्रकार जमाबन्दी कायम हुई है यह स्पष्ट नही है।

अंचल अधिकारी द्वारा नामान्तरण आवेदन एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिमडेगा के द्वारा अपील नामान्तरण आवेदन में इस आधार पर आदेश पारित किया गया है कि वादगत् भूमि सर्वे खतियान के अनुसार गैर मजरूआ मालिक खाते की है तथा इसकी जमावन्दी पूर्व रैयत शिव शंकर प्रसाद सिन्हा के नाम से कायम है। इसका कोई आधार नही है। स्पष्ट है कि कायम जमावन्दी संदिग्ध किस्म की है।

अंचल अधिकारी द्वारा भी इस भूमि के गैर मजरूआ खाते के होने का कोई साक्ष्य सबूत नही दिया गया है।

मौजा – सलडेगा थाना – सिमडेगा, थाना नं0 – 117 के खाता नं0 108 के प्लॉट नं0 667 रकबा 4.10 एकड़ में से 0.23 एकड़ भूमि वर्त्तमान में सरकारी खाते की गैर मजरूआ भूमि है कि नही यह भी जांच का विषय है क्योंकि अचंल अधिकारी के

प्रतिवेदनानुसार सर्वे खतियान में भूमि गैर मजरूआ मालिक खाते की बताई जा रही है।

सर्वे खतियान का काम वर्ष 1932–33 में हुआ है। उस समय जमीन का मालिक जमीन्दार होते थे तो यह भूमि उस समय के जमीन्दार की थी। सरकार द्वारा जमीन्दारी उन्मूलन कार्यक्रम वर्ष 1955–56 में किया गया है। उस समय संबंधित जमीन्दार द्वारा प्रश्नगत भूमि सरकार को m फार्म में समर्पित की गई है, अथवा नहीं यह भी जांच किया जाना आवश्यक है। अगर जमीन्दार द्वारा प्रश्नगत खाते की भूमि सरकार को विधिवत् समर्पित की गई है तो यह सरकारी गैर मजरूआ भूमि मानी जायेगी, अगर जमीन्दार द्वारा प्रश्नगत भूमि सरकार में समर्पित नही की गई है तो यह उनकी रैयती भूमि मानी जायेगी जिसे वे किसी व्यक्ति को दान/ विक्रय आदि कर सकते थे।

उपरोक्त निष्कर्ष के आधार पर अंचल अधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिमडेगा को आदेश दिया जाता है कि इस वाद की विवादित भूमि का गहन रूप से जांच की जाय कि यह सरकारी खाते की गैर मजरूआ भूमि है, अथवा नहीं।

यदि सरकारी गैर मजरूआ भूमि है तो फिर पूर्व रैयत शिवशंकर प्रसाद सिन्हा के नाम से कैसे पंजी II में जमावन्दी कायम हुई है, यह भी जांच की जाय तथा इस खाते के भूमि की जो भी जमावन्दी कायम है उसे जांचोपरान्त रद्द करने की प्रक्रिया की जाय। साथ ही यदि इस वाद की विवादित भूमि की कायम जमावन्दी विधि संगत पायी जाती है तो अपीलार्थी का दाखिल खारिज आवेदन स्वीकार किया जाय।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिमडेगा को अनुपालन हेतु उनके मूल अभिलेख के साथ वापस किया जाय।

लेखापित एवं संशोधित

15.02.21

उपायुक्त,
सिमडेगा।

15.02.21

उपायुक्त,
सिमडेगा।

Digitally signed by SUSHANT GAURAV
Date: 2021.12.17 12:44:55 +05:30
Location: 192.168.112.67